



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122020-223577
CG-DL-E-08122020-223577

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3900]
No. 3900]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 2020/अग्रहायण 17, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2020/AGRAHAYANA 17, 1942

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4441(अ).— केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 46 की उप-धारा (2) के खंड (कक) तथा (कख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (चौथा संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के, नियम 6 के, खंड (क) में, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

परंतु बहुपक्षीय बैंक या निधि, जिसमें भारत सदस्य हो, को न तो किसी विशिष्ट देश की इकाई समझा जाएगा और न ही किसी देश को भारत में ऐसे बैंक या निधि के विनिधान के हिताधिकारी स्वामी के रूप में समझा जाएगा।

3. मूल नियमों की, अनुसूची 1 के, सारणी में, -

(i) क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

क्र.सं. (1)	क्षेत्र/क्रियाकलाप (2)	क्षेत्रीय कैप (3)	प्रविष्टि मार्ग (4)
"6	रक्षा		
6.1	उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन औद्योगिक अनुज्ञप्ति के अध्ययधीन रहते हुए रक्षा उद्योग तथा आयुध अधिनियम 1959 के अधीन लघु आयुध तथा गोला-बारूद का विनिर्माण।	100%	74% तक स्वचालित, 74% से अधिक सरकारी मार्ग से, जब कभी इसका संभाव्य परिणाम आधुनिक प्रौद्योगिकी की पहुंच हो या ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाए।
6.2	अन्य स्थितियां		
	<p>क. नयी औद्योगिक अनुज्ञप्ति मांगने वाली कंपनियों के लिए स्वचालित मार्ग के अधीन 74% तक एफडीआई की अनुमति दी जाएगी।</p> <p>ख. ऐसी कंपनी जो औद्योगिक अनुज्ञप्ति नहीं चाहती है या जिसने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई के लिए सरकार से पहले से ही अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, 49 प्रतिशत तक की एफडीआई के लिए साधारण शेयरों/अंशधारी पैटर्न में परिवर्तन या विद्यमान विनिधानकर्ता द्वारा नये विदेशी विनिधानकर्ता को पण के अंतरण की दशा में ऐसे परिवर्तन के तीस दिवस की अवधि के भीतर रक्षा मंत्रालय को एक घोषणा प्रस्तुत करेगी और 49 प्रतिशत से अधिक एफडीआई के लिए किसी प्रस्ताव की दशा में ऐसी कंपनी से सरकारी अनुमोदन अपेक्षित होगा।</p> <p>ग. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के साथ परामर्श करके अनुज्ञप्ति आवेदनों पर विचार किया जाएगा।</p> <p>घ. इस क्षेत्र में विदेशी विनिधान, गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंजूरी के अध्ययधीन रहते हुए तथा रक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा।</p> <p>ङ. विनिधान करने वाली कंपनी, उत्पाद परिकल्पना तथा विकास के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए निमित्त की जाएगी और विनिर्माण सुविधा के साथ-साथ विनिधानकर्ता/संयुक्त उद्यम कंपनी के पास भारत में विनिर्मित किए जा रहे उत्पाद का रख-रखाव तथा लाइफ साइकल सपोर्ट की सुविधा होगी।</p> <p>च. रक्षा क्षेत्र में विदेशी विनिधान, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर संवीक्षा के अध्ययधीन रहते हुए होगा और सरकार रक्षा क्षेत्र में किसी विदेशी विनिधान का पुनर्विलोकन करने का अधिकार रखती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है अथवा कर सकता है।”</p>		

[फा.सं. 01/05/ईएम/2019]

आनंद मोहन बजाज, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में का.आ. सं. 3732 (अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ.सं. 4355 (अ), तारीख 5 दिसंबर 2019, का.आ. 1278 (अ), तारीख 22 अप्रैल, 2020 और का.आ. 1374 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2020 तथा का.आ. 2442 (अ), तारीख 27 जुलाई 2020 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2020

S.O. 4441 (E).—In exercise of the powers conferred by clauses (aa) and (ab) of sub-section (2) of section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) (Fourth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, in rule 6, in clause (a), after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

Provided also that a Multilateral Bank or Fund, of which India is a member, shall not be treated as an entity of a particular country nor shall any country be treated as the beneficial owner of the investments of such Bank or Fund in India.

3. In the principal rules, in Schedule 1, in the Table,-

(i) for serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S. No. (1)	Sector/Activity (2)	Sectoral Cap (3)	Entry Route (4)
“6	Defence		
6.1	Defence Industry subject to Industrial license under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 and Manufacturing of small arms and ammunition under the Arms Act, 1959	100%	Automatic up to 74% Government route beyond 74% wherever it is likely to result in access to modern technology or for other reasons to be recorded
6.2	Other Conditions		
	<p>a) FDI up to 74% under automatic route shall be permitted for companies seeking new industrial licenses.</p> <p>b) Infusion of fresh foreign investment up to 49%, in a company not seeking industrial license or which already has Government approval for FDI in Defence, shall submit a declaration with the Ministry of Defence in cases of change in equity/shareholding pattern or transfer of stake by existing investor to new foreign investor, for FDI up to 49%, within a period of thirty days of such change and any proposal for raising FDI beyond 49% from such companies shall require Government approval.</p> <p>c) License applications will be considered by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, in consultation with Ministry of Defence and Ministry of External Affairs.</p> <p>d) Foreign investment in the sector shall be subject to security clearance by the Ministry of Home Affairs and as per guidelines of the Ministry of Defence.</p>		

	<p>e) Investee company shall be structured to be self-sufficient in the areas of product design and development and the investee or joint venture company along with the manufacturing facility, shall also have maintenance and life cycle support facility of the product being manufactured in India.</p> <p>f) Foreign investments in the Defence sector shall be subject to scrutiny on grounds of national security and Government reserves the right to review any foreign investment in the Defence sector that affects or may affect national security.”</p>
--	---

[F. No. 01/05/EM/2019]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.3732 (E), dated the 17th October, 2019 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 4355 (E), dated the 5th December 2019, S.O. 1278 (E), dated the 22nd April, 2020 and S.O. 1374 (E), dated the 27th April, 2020 and S.O. 2442 (E), dated the 27th July, 2020